

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

रामजीगर

बनाम

अमरसिंह


म मुकदम

प्राप्य 212

नं.

2183

सन 2025

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए।
	<p>23/07/25 वकील पानी के पारना पर परप्राक्ती तलब की गई। वादी के पारना पर पर मूलवाद No. 1988 से खारिज किया जा चुका है। अतः पारना पर खारिज किया जाता है। प्राक्ती फौजिल दोकर नम्बर से कम है। बाद पूर्ति संलग्न मूलवाद रहे।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलयर) राज० </p>	<p>अमरसिंह</p> <p>23/7/25</p>